

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ****आपराधिक विविध जमानत प्रार्थना पत्र संख्या - 2068/2026**

रितिक सिंह @ बिल्लू

.....आवेदकगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, प्रमुख सचिव, गृह विभाग, लखनऊ के माध्यम से

.....विरोधी पक्ष

आवेदकगण के अधिवक्ता	: राम कुमार सिंह, पवन कुमार शर्मा
विरोधी पक्ष के अधिवक्ता	: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 28**माननीय न्यायमूर्ति राजीव भारती**

1. सुश्री पल्लवी सिंह, जो श्री राम कुमार सिंह, विद्वान अधिवक्ता की ओर से उपस्थित हुईं, ने अभियुक्त/आवेदक की ओर से तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. यह जमानत प्रार्थना पत्र अभियुक्त/आवेदक रितिक सिंह @ बिल्लू द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 0486/2025, धारा 3(1), उत्तर प्रदेश गैंगस्टर्स एवं असामाजिक गतिविधियाँ (निवारण) अधिनियम, थाना परसपुर, जनपद गोंडा में विचारण के दौरान जमानत प्रदान किए जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।
3. अभियुक्त-आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत प्रार्थना पत्र पर जोर देते हुए प्रस्तुत किया कि अभियुक्त-आवेदक को वर्तमान मामले में तथा गैंग चार्ट में उल्लिखित तीन मामलों में, जिनके आधार पर गैंगस्टर्स अधिनियम की धाराएँ लगाई गई हैं, झूठा फँसाया गया है। तथापि, गैंग चार्ट में उल्लिखित इन तीनों मामलों में आवेदक को सत्र न्यायाधीश, गोंडा द्वारा दिनांक 30.08.2025 के आदेशों के माध्यम से जमानत प्रदान की जा चुकी है, जो कि जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 1892/2025, 1893/2025 एवं 1894/2025 में पारित किए गए थे। इन तीनों मामलों से संबंधित जमानत आदेशों

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

की प्रतियाँ जमानत प्रार्थना पत्र के साथ परिशिष्ट संख्या 3, 4 एवं 5 के रूप में अभिलेख पर संलग्न हैं।

4. आगे यह भी प्रस्तुत किया गया कि गैंग चार्ट में उल्लिखित उपरोक्त तीन मामलों के अतिरिक्त आवेदक किसी अन्य आपराधिक मामले में संलिप्त नहीं है तथा वह इस मामले में दिनांक 07.02.2026 से जेल में निरुद्ध है और अभियुक्त-आवेदक के संबंध में वहां कोई आशंका व्यक्त नहीं गई है कि जमानत पर रिहा होने के पश्चात वह विधि की प्रक्रिया से फरार हो सकता है अथवा स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर सकता है। अन्यथा, वर्तमान प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोप इतने पर्याप्त नहीं हैं कि यह अनुमान लगाया जा सके कि आवेदक गैंग चार्ट में उल्लिखित अपराधों का दोषी है अथवा गैंग चार्ट में वर्णित समान अपराध पुनः कर सकता है।

5. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने दूसरी ओर यह प्रस्तुत किया कि आवेदक जघन्य अपराध करने का आरोपी है, अतः उसे जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकार नहीं है।

6. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने तथा अभिलेख का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि आवेदक को गैंग चार्ट में उल्लिखित तीन आपराधिक मामलों के आधार पर इस प्रकरण में सम्मिलित किया गया है तथा उन मामलों में आवेदक को सत्र न्यायाधीश, गौडा द्वारा जमानत की सुविधा प्रदान की जा चुकी है। गैंग चार्ट में उल्लिखित इन तीन मामलों के अतिरिक्त आवेदक किसी अन्य आपराधिक मामले में संलिप्त नहीं है। आवेदक इस मामले में दिनांक 07.02.2026 से जेल में निरुद्ध है तथा उपयुक्त शर्तें लगाकर उसकी उपस्थिति विचारण न्यायालय के समक्ष सुनिश्चित की जा सकती है।

7. अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता, दण्ड की गंभीरता, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलों तथा वाद के गुण-दोष पर कोई मत व्यक्त किए बिना, मेरा यह विचार है कि आवेदक ने जमानत हेतु एक उपयुक्त मामला प्रस्तुत किया है। अतः जमानत प्रार्थना पत्र **स्वीकार** किया जाता है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

8. आवेदक रितिक सिंह @ बिल्लू को उपर्युक्त प्रकरण में संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान राशि के दो जमानतदारों सहित व्यक्तिगत बंधपत्र प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-

- (i) आवेदक विचारण के दौरान साक्ष्यों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- (ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर किसी प्रकार का दबाव नहीं डालेगा अथवा उन्हें भयभीत नहीं करेगा।
- (iii) आवेदक प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी भी ऐसे व्यक्ति, जो मामले के तथ्यों से परिचित हो, को कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा ताकि वह न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से विमुख हो जाए अथवा साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करेगा।
- (iv) आवेदक इस आशय का एक प्रार्थना-पत्र/प्रतिज्ञान पत्र दाखिल करेगा कि जब साक्ष्य हेतु तिथि नियत हो और गवाह न्यायालय में उपस्थित हों, तब वह किसी प्रकार का स्थगन नहीं मांगेगा। इस शर्त के उल्लंघन की स्थिति में विचारण न्यायालय को यह मानने का अधिकार होगा कि जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया गया है तथा वह विधि के अनुसार आदेश पारित कर सकेगा।
- (v) आवेदक, उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 19(4)(b) की आवश्यकता के अनुसार यह प्रतिज्ञान पत्र भी दाखिल करेगा कि वह किसी भी मामले में संलिप्त नहीं होगा तथा जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।
- (vi) आवेदक प्रत्येक नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा। यदि वह पर्याप्त कारण के बिना अनुपस्थित रहता है, तो विचारण न्यायालय विधि के अनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही कर सकेगा।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

(vii) यदि विचारण के दौरान आवेदक जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है तथा उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु बी.एन.एस.एस. की धारा 84 के अंतर्गत उद्घोषणा जारी की जाती है और आवेदक उक्त उद्घोषणा में नियत तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय बी.एन.एस. की धारा 209 के अंतर्गत विधि के अनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही प्रारम्भ करेगा।

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में की गई टिप्पणियाँ केवल वर्तमान जमानत प्रार्थना-पत्र तक सीमित हैं और इनका विचारण के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(न्यायमूर्ति राजीव भारती)

दिनांक : 31 मार्च, 2026

मुक

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।